

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान कनाडिया कलां

दिनांक :-

-:: आदेश ::-

प्रार्थी है "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कनाडिया कलां व भू-अभिलेख निरीक्षक सिंहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुषांका के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कनाडिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 7.6 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरानद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कनाडिया कलां</u>	<u>76</u>	<u>गोपाल पुत्र नाथु सुवार 1/9 सुवार सा. देह छातेफार</u>	<u>गोपाललाल पुत्र नाथु सुवार 1/9 सा. देह छातेफार</u>

(Signature)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

क्रमांक / 190
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरानद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावायें।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

को सूचनार्थ।

(Signature)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

